

Mint, November 10, 2020



CHAMBAL FERTILISERS AND CHEMICALS LIMITED

(CIN: L24124RJ1985PLC003293)

Registered Office: Gadepan, Distt. Kota, Rajasthan, PIN-325 208

Tel No. 0744-2782915; **Fax No.** 07455-274130

Corporate Office: "Corporate One", First Floor, 5, Commercial Centre, Jasola, New Delhi - 110 025

Tel. Nos.: +91-11-46581300, 41697900; **Fax No.:** +91-11-40638679

Email: isc@chambal.in; **Website:** www.chambalfertilisers.com

COMMUNICATION TO SHAREHOLDERS REGARDING PAYMENT OF INTERIM DIVIDEND AND DEDUCTION OF TAX AT SOURCE

The Board of Directors of the Company at its meeting held on November 05, 2020 have declared an Interim Dividend of Rs. 3.00 (Rupees three only) per Equity Share of Rs.10 each (hereinafter referred to as "Interim Dividend"). The record date fixed for determining the eligibility of shareholders for the payment of Interim Dividend is November 13, 2020.

In terms of the provisions of the Income Tax Act, 1961 ("the IT Act"), as amended by the Finance Act, 2020, dividend distributed by a company on or after April 01, 2020 shall be taxable in the hands of the members. The Company shall, therefore, be required to deduct tax at source, at the rates prescribed in the IT Act, while making the payment of Interim Dividend. The rates for deduction of tax at source shall be applicable on the basis of residential status and classification of members as per the provisions of the IT Act and the documents / declarations submitted to the Company in accordance with the provisions of the IT Act. The members are, therefore, requested to submit requisite tax related documents / declarations to the Company at the email address i.e. isc@chambal.in on or before **November 13, 2020**. The members may visit the website of the Company for details of the prescribed rates for deduction of tax at source and the documents / declarations required to be submitted by the members.

The members, whose bank details are not registered with the Company or with their respective depository participants, can provide their mandate for receiving dividends directly in their bank accounts through Electronic Clearing Service (ECS) or any other means by following the steps given below:

- a) For the members holding shares in physical form, please send scanned copy of: (i) a request letter mentioning folio number, complete postal address, email address and mobile number, signed by all the members; (ii) cancelled cheque bearing the name(s) of shareholder(s) and in case the name is not printed on the cheque leaf, a copy of bank passbook/bank statement, duly attested by the bank; and (iii) self-attested copy of Permanent Account Number (PAN) card of each shareholder, at the Company's email address i.e. isc@chambal.in.
- b) For the members holding shares in demat form, please update your email address / PAN / Bank details through your Depository Participant.

For Chambal Fertilisers and Chemicals Limited

Sd/-

Rajveer Singh

Vice President – Legal & Secretary

Place : New Delhi

Date : November 09, 2020

राजस्थान पत्रिका, कोटा, दिनांक - नवम्बर 10, 2020



चम्बल फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड

(सीआईएन: L24124RJ1985PLC003293)

पंजीकृत कार्यालय: गढ़पान, जिला कोटा, राजस्थान, पिन - 325 208

टेलीफोन नं.: 0744-2782915; फ़ैक्स नं.: 07455-274130

कॉर्पोरेट कार्यालय: "कॉर्पोरेट वन", प्रथम मंजिल, 5, व्यवसायिक केन्द्र, जसोला, नई दिल्ली - 110 025

टेलीफोन नं.: +91-11-46581300, 41697900; फ़ैक्स नं.: +91-11-40638679

ई-मेल: isc@chambal.in; वेबसाइट: www.chambalfertilisers.com

अंतरिम लामांश के भुगतान एवं स्रोत पर कर कटौती से सम्बंधित शेरधारकों को सूचना

कम्पनी के निदेशक मंडल ने 05 नवम्बर, 2020 को संपन्न बैठक में रुपये 10 प्रत्येक के समता शेर पर रुपये 3.00 (रुपये तीन मात्र) प्रति शेर के अंतरिम लामांश (इसके बाद "अंतरिम लामांश" के रूप में संदर्भित) की घोषणा की है। अंतरिम लामांश के भुगतान के लिए शेरधारकों की पात्रता का निर्धारण करने हेतु रिकॉर्ड तिथि 13 नवम्बर, 2020 निश्चित की गई है।

आयकर अधिनियम, 1961 ("आईटी अधिनियम"), वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा यथा संशोधित, के प्रावधानों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2020 या उसके उपरान्त कम्पनी द्वारा वितरित किया गया लामांश सदस्यों के हाथों में कर योग्य होगा। अतः कम्पनी को, अंतरिम लामांश का भुगतान करते समय, आईटी अधिनियम में निर्धारित दरों के अनुसार स्रोत पर कर कटौती करनी होगी। स्रोत पर कर कटौती की दरें आईटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, आवासीय स्थिति और सदस्यों के वर्गीकरण एवं कम्पनी को प्रस्तुत दस्तावेजों/प्रख्यापनों के आधार पर लागू होंगी। अतः सदस्यों से 13 नवम्बर, 2020 या उससे पहले कर संबंधी दस्तावेज/प्रख्यापन कम्पनी के ईमेल पते अर्थात् isc@chambal.in पर भेजने का अनुरोध किया जाता है। सदस्य स्रोत पर कर कटौती की निर्धारित दरों तथा सदस्यों द्वारा जमा किए जाने वाले वांछित दस्तावेजों/प्रख्यापनों के विवरण के लिए कम्पनी की वेबसाइट देख सकते हैं।

वे सदस्य, जिनका बैंक विवरण कम्पनी या उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ईसीएस) या किसी अन्य माध्यम से सीधे अपने बैंक खातों में लामांश प्राप्त करने के लिए अपना अधिदेश निम्न प्रकार से प्रदान कर सकते हैं:

- शैतिक रूप में शेर धारण करने वाले सदस्य कृपया इनकी स्कैन प्रति: (i) सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित, फोलियो नंबर, सम्पूर्ण डाक पता, ईमेल पता और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए, एक अनुरोध पत्र; (ii) रद्द किया हुआ चेक जिस पर शेरधारकों के नाम छपे हों और यदि चेक की प्रति पर नाम छपा हुआ न हो तो बैंक द्वारा विधिवत अभिप्राणित बैंक पासबुक/बैंक विवरण की प्रति; एवं (iii) प्रत्येक शेरधारक के स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति, कम्पनी के ईमेल पते अर्थात् isc@chambal.in पर भेजें।
- डिमेंट रूप में शेर धारण करने वाले सदस्य कृपया अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से अपना ईमेल पता/पैन/बैंक विवरण दर्ज करावें।

कृते चम्बल फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड

हस्ता/-

राजवीर सिंह

वाईस प्रेसिडेंट- लीगल एवं सचिव

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 09 नवम्बर, 2020